सं०सं०–1/प०में०कॉ०–07/2012–13(1)ब०

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक : संजय कुमार,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

प्राचार्य,
पटना मेडिकल कॉलेज पटना।
विभागाध्यक्ष, बिहार कॉलेज ऑफ फिजियोथेरापी
एवं अकुपेशनल थेरापी विकलांग भवन अस्पताल, पटना

पटना, दिनांक– 25/04/2012

विषयः–पटना चिकित्सा महाविद्यालय पटना को विपत्र कोड एन 2210051050001 में गैर योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2012–13 में वेतनादि एवं अन्य प्राथमिक ईकाइयों में कुल रूपये **32,46,64,800/-** (बतीस करोड़ छियालीय लाख चौसठ हजार आठ सौ) रुपये मात्र के आवंटन की स्वीकृति।

महाशय,

निदेशानुसार प्राचार्य, पटना चिकित्सा महाविद्यालय पटना एवं विभागाध्यक्ष, बिहार कॉलेज ऑफ फिजियोथेरापी एवं अकुपेशनल थेरापी, विकलांग भवन अस्पताल, कंकड़बाग, पटना को विपत्र कोड एन 2210051050001 में गैर योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2012–13 में संलग्न विवरणी के अनुसार निम्नांकित प्राथमिक ईकाइयों में कुल रू० **32,46,64,800/-** (बतीस करोड़ छियालीय लाख चौसठ हजार आठ सौ) रुपये मात्र के आवंटन की स्वीकृति दी जाती है।

2. यह आवंटनादेश वित्त विभाग के परिपत्र सं०–2561/वि०(2), दि०–17.04.98, 2880/वि०(2), दि०–06.05.06, 96/वि०(2), दि०–09.01.08 सहपठित संकल्प सं० 2190/वि०(2) दि०–17.03.08, 2938/ वि०(2), दि०–08.04.08 एवं 3388/वि०(2), दि०–18.04.11 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

3. इस राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी प्राचार्य, पटना चिकित्सा महाविद्यालय पटना एवं विभागाध्यक्ष, बिहार कॉलेज ऑफ फिजियोथेरापी एवं अकुपेशनल थेरापी, विकलांग भवन अस्पताल, कंकड़बाग, पटना होगें तथा नियंत्रण पदाधिकारी निदेशक प्रमुख स्वास्थ्य सेवाएँ बिहार, पटना होगें।

4. आवंटित राशि की व्यय विवरणी कोषागार प्रमाणक संख्या एवं तिथि सहित प्रत्येक माह की 10वीं तारीख तक निश्चित रूप से विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय। चालू वित्तीय वर्ष में प्राप्त आवंटन से किये गये व्यय का महालेखाकार, बिहार, पटना द्वारा सत्यापित कराकर सत्यापित प्रतिवेदन भी विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय। महालेखाकार का सत्यापित प्रतिवेदन अप्राप्त होने की स्थिति में किसी प्रकार की वित्तीय अनियमितता प्रकाश में आने पर इसकी सारी जवाबदेही आपकी होगी।

5. इस राशि के व्यय का वहन गैर योजना व्यय शीर्ष–2210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य–05–चिकित्सा शिक्षा–प्रशिक्षण तथा अनुसंधान–105–एलोपैथी–0001 पटना मेडिकल कॉलेज, माँग संख्या 20, विपत्र कोड– एन 2210051050001 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2012–13 में गैर योजना आय व्ययक में उपबंधित राशि से की जाएगी ।

क्रमशः

6. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वीकृत बल के विरूद्ध नियमानुसार नियुक्त एवं पदस्थपित कर्मियों का ही वेतन भुगतान सुनिश्चित करेंगे तथा इस आशय का प्रमाण–पत्र वेतन विपत्र में भी अंकित करेंगे।

7. इस राशि से बकाये वेतन विपत्र की निकासी की जा सकेगी, बशर्ते कि प्राचार्य/विभागाध्यक्ष बकाये वेतन विपत्र की निकासी के पूर्व यह सुनिश्चित हो लेगें कि बकाये वेतन की निकासी पूर्व में नहीं की गई है और उनका दावा नियमानुकूल है तथा नियमित वेतन विपत्र की निकासी में कोई कठिनाई न हो।

8. इस आवंटनादेश में मशीन एवं उपकरण ईकाई में 10,00,000/– (दस लाख) रूपए की राशि भी समाहित है जो मशीनों के मरम्मति एवं रख रखाव के लिए दिया जा रहा है।

9. इस राशि से क्रय संबंधी कार्य वित्त नियमावली एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत परिपत्रों/अनुदेशों के आलोक में निर्धारित शर्त्तों के तहत् किया जाएगा।

10. इस राशि की निकासी जिला कोषागार, पटना से की जाएगी।

11. इसकी प्रति महालेखाकार, बिहार, पटना को दी जा रही है।

विश्वासभाजन,

(संजय कुमार)
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–1/प०में०कॉ०–07/2012–.....13...(1)ब०/ पटना, दिनांक–25/04/2012

प्रतिलिपिः–महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/ वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना/प्रमंडलीय आयुक्त, पटना/ जिलाधिकारी, पटना/ कोषागार पदाधिकारी, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः–मंत्री, स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव/ प्रधान सचिव स्वास्थ्य विभाग के प्रधान आप्त सचिव/ निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार पटना/ बिहार राज्य विद्युत बोर्ड, (आपूर्त्ति शखा) पटना/ प्रशाखा पदाधिकारी–1 एवं कार्यवाह सहायक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव।

पटना मेडिकल कॉलेज विपत्र कोड एन 2210051050001 को वित्तीय वर्ष 2012–13 में आवंटन

विषय शीर्ष	बजट में उपबंधित राशि	वर्त्तमान आवंटन			शेष राशि
		प०में०कॉ०	बी०सी०पी०ओ० कंकड़बाग	कुल योग	
01 01 वेतन	121776000	107073400	2525000	109598400	12177600
01 03 जीवन यापन भत्ता	81205000	71682500	1402000	73084500	8120500
01 04 मकान किराया भत्ता	2424000	1756600	425000	2181600	242400
01 05 परिवहन भत्ता	2967000	2604300	66000	2670300	296700
01 06 चिकित्सा भत्ता	855000	749500	20000	769500	85500
01 07 अन्य भत्ता	70000	60000	3000	63000	7000
योग– वेतन एवं भत्ते	**209297000**	183926300	**4441000**	**188367300**	**20929700**
06 01 चिकित्सा प्रतिपूर्ति	2500000	1250000	0	1250000	1250000
11 01 यात्रा व्यय	300000	140000	10000	150000	150000
13 01 कार्यालय व्यय	7500000	3250000	500000	3750000	3750000
13 02 वाहन का ईधन एवं रख रखाव	800000	300000	100000	400000	400000
13 03 दूरभाष	175000	72500	15000	87500	87500
13 04 विद्युत प्रभार	40000000	17000000	3000000	20000000	20000000
13 05 विधि प्रभार	50000	25000	0	25000	25000
13 06 वर्दी/पोशाक	270000	100000	35000	135000	135000
14 01 किराया महसूल एवं कर	1500000	750000	0	750000	750000
16 01 प्रकाशन एवं मुद्रण	200000	100000	0	100000	100000
20 02 कॉन्फरेंस, कार्यशाला, सेमिनार	200000	100000	0	100000	100000
21 01 सामग्री एवं पूर्तियां	2000000	900000	100000	1000000	1000000
21 02 दवा भण्डार	100000	40000	10000	50000	50000
27 02 अनुरक्षण एवं मरम्मत	30000000	0	0	0	30000000
28 01 व्यावसायिक एवं विशेष सेवाएँ	5000000	2000000	500000	2500000	2500000
34 01 छात्रवृत्ति/वजीफा	210000000	104650000	350000	105000000	105000000
50 01 अन्य प्रभार	0	0	0	0	0
52 01 मशीनें एवं उपस्कर	10000000	1000000	0	1000000	9000000
कुल योग :–	**519892000**	**315603800**	**9061000**	**324664800**	**195227200**

13(1) प०
25-4-12

बतीस करोड़ छियालीय लाख चौसठ हजार आठ सौ रूपये मात्र

25/4/2012

सरकार के संयुक्त सचिव।

16/4/12